अनु. क्रमांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना क्रमांक व दि
	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। बाद वादी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो 18-9-19 (मुरारी लाल शर्मा) उपखण्ड अधिकारी बबबमब	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 1223/2006

1. मोहन
2. रूघवीर पुत्रान नोरंगराम पौत्र हीराराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील नवलगढ

–वादीगण

बनाम

1. परता उर्फ प्रतापसिंह (नाम हजफ दिनांक 29.04.2016)
2. इन्द्राज
3. रोशन पुत्रान हीराराम
4. देवकरण पुत्र भराराम पौत्र हीराराम
5. श्रवणीदेवी पत्नी स्व0 भूराराम पुत्र वधु हीराराम जाति जट निवासीगण राणासर तहसील नवलगढ
6. नेमीचन्द
7. महावीर पुत्रान भोलाराम पौत्र हीराराम जाति जाट निवासी रामलालपुरा तन शीथल तह0 उदयपुरवाटी
8. मन्जूदेवी पत्नी दिनेश कुमार
9. सुनिता देवी पत्नी राकेशकुमार
10. जगताराम पुत्र नौरंगराम पौत्र हीराराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील नवलगढ

–प्रतिवादीगण

दावाः घोषणाथ, दुरूस्त करवोन रिकार्ड,
स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करवाने विक्रय पत्र

वकील वादीगण–श्री विजेन्द्रसिंह दूत

निर्णय

निर्णय तिथि 18.09.2019

वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 के पिता व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण नं. 4 व 5 के पिता व पति एवं प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के पिता आपस में सगे भाई हैं जो स्व0 हीराराम के वारिसान हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 हीराराम के सगे भाई बखताराम के गोद था और बखताराम की सम्पति में ही उनका हक हिस्सा है। उक्त वाद स्व0 नौरंगराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 पेश कर रहे हैं। लेकिन प्रतिवादी नं. 10 जयपुर रहता है जिसके हस्ताक्षर वाद पत्र पर करवाये जाना संभव नही है इसलिये उनको वाद में प्रफोर्मा डिफेन्डेन्ट प्रतिवादी नं. 10 बनाया गया है।

ग्राम राणासर की सरहद में नई खाता सं0 67 की भूमि ख.न. 524/216/0.01, खाता सं0 68 के ख.न. 137/1.22, 138/0.15, 216/7.14, 229/2.97, खाता सं0 23 की भूमि ख.न. 408/3.07, 409/3.15, कुल तीनों खातों का रकबा 17.71 है0 स्थित है। जिसके पुराने ख.न. 102, 124, 145 कुल तादादी 69 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता है जो वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 व 10 की खातेदारी में दर्ज है। इसके अलावा अन्य भूमि खाता सं0 139 की ख.न. 336/1.50, 337/1.29, 338/0.07, 340/0.08, 341/1.80ख 342/0.04, कुल रकबा 5.24 है0 स्थित है। जिसमें 1/4 हिस्से रकबा 1.31 है0 की खातेदारी स्व0 हीराराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ल0 7 व 10 के नाम दर्ज है तथा 3/4 हिस्सा की खातेदारी अन्य सहकाश्तकारों के नाम दर्ज है। अन्य सहकाश्तकारों की भूमि है जिसके संबंध में कोई विवाद नही है। उक्त तमाम भूमि वादीगण की पैत्रिक

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

सम्पति है। प्रतिवादी नं. 6 व 7 के पिता को काफी वर्षो पूर्व सभी ने शामलाती रूप से ग्राम रामलालपुरा तन शीथल तह0 उदयपुरवाटी में भूमि खरीद कर देदी थी और भोलाराम ने राणासर की भूमि में अपना हिस्सा त्याग दिया था लेकिन खाता सं0 189 की भूमि में प्रतिवादी नं. 6 व 7 का नाम दर्ज हो रहा है इसलिये वाद में इनको भी पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी नं. 1 बखताराम के गोद चले जाने से बखताराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके हिस्से व खातेदारी की भूमि पुराने ख0न0 105 तादादी 10 बीघा 3 विश्वा जिसके नये ख0न0 192 रकबा 2.56 है0 की खातेदारी नं0 1 के नाम दर्ज हो गई। हीराराम की संपति में उनका हक हिस्सा शेष नही रहा है। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 बहुत चालाक व होशियार व्यक्ति है। जिसके राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके स्वर्गीय हीराराम की सम्पति में भी अपना हिस्सा दर्ज करवा लिया और पैमाईश के दौरान वादीगण के पिता की सहमति बिना ही अलग खाता विभाजन भी करवा लिया है।जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ है। पैमाईश वालों को इस प्रकार से गलत खातेदारी दर्ज करने का कोई हक नहीं है और प्रतिवादी नं0 6 व 7 का भी हिस्सा खाता संख्या 189 में गलत दर्ज कर दिया है। जिसको हटाया जाना उचित है।इस प्रकार उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है जिसकी दुरूस्ती बाबत वाद घोषणार्थ व दुरूस्त करवाने रिकार्ड पेश है। वादीगण के पिता ने गलत रिकार्ड की दुरूस्ती व विधिवत खाता विभाजन हेतु न्यायालय एस.डी.ओ. नवलगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद मु0 नं0 97/86 पेश किया था जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में राजीनामा हो गया और राजीनामे के आधार पर वादीगण के पिता ने वाद दिनांक 02.08.88 को खारीज करवा दिया था तथा वादीगण के पिता के हस्से में कुछ भूमि उतरी पश्चिमी कोणा वादीगण के पिता के हक में एक इकरारनामा 02.06.88 को कर दिया था जिस पर लिछमणराम सरपंच के भी हस्ताक्षर हैं। तब से उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीण नं. 10 खातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण व उनके पिता के नाम दर्ज नही होने से रिर्कार्ड गलत दर्ज हो रहा है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा की गई लिखावट उनके खिलाफ स्टोपल है। इसलिये भूमि ख.न. 216 रकबा 7.14 है0 में से 0.50 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 को खतोदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

स्व0 हीराराम के हिस्से व खातेदारी की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 का 1/5वां हिस्सा है तथा 4/5हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 का है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज व आबाद है फसल लाटते हैं। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड खाता सं0 67व 68 की भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। खाता सं0 23 की भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 एवं प्रतिवादीगण नं0 4 व 5 के नाम दर्ज है जो सही दर्ज है। खाता सं0 189 की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 7 के नाम दर्ज है प्रतिवादी नं0 6 व 7 का नाम गलत दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने हिस्से की भूमि ख.न. 216 रकबा 7.14 है0 में से 0.50 है0 भूमि वादीगण को देदी थी जिसकी असल लिखावट वादीगण के पास है। लेकिन प्रतिवादी नं. 1 की नियत मे बेईमानी पैदा हो गई। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादीगण नं0 8 व 9 से सांठ गांठ करके वादीगण को दी हुई भूमि ख.न. 216 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण नं0 8 व 9 को विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय पत्र दिनाकि 17.11.2006 को उनके पक्ष मे तस्दीक करवा लिया जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध है।

अतः वाद बहक वादीगण व प्रतिवादी सं0 10 खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित खाता सं0 68 की भूमि ख.न. 216 रकबा 7.14 है0 में से इकरारनामा दिनांक 02.06.88 के आधार पर भूमि रकबा 0.50 है0 का स्व0 नोरंगराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता सं0 189 की सम्पूर्ण भूमि में 1/20 हिस्से का वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 एवं 4/20 हिस्से का प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादी नं0 6, 7 का नाम हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण नं0 1, 4, 5, 8, 9 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 को खाता सं0 68 की भूमि ख.न. 216 में से उतरी पश्चिमी कोने का रकबा 0.50 है0 व खाता सं0 23 की भूमि में 1/2 हिस्से यानि रकबा 3.11 है0 एवं खाता सं0 189 की सम्पूर्ण भूमि में 1/20 हिस्से यानि 0.26 है0 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं पैदा करे ना ही अपने किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी नं0 8 व 9 को इस आशय से भी पाबन्द किया जावे कि विधि विरूद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2006 की आड में वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि खाता सं0 68 की भूमि ख.न. 216 ममें से 0.50 है0 रकबे

Scanned by CamScanner

जबरन कब्जा नही करे और ना ही विधिवत विभाजन करवाये बिना किसी भूभाग पर कब्जा करे और प्रतिवादीगण नं0 1, 4, 5 भी किसी प्रकार का प्रतिवादी नं0 8 व 9 का सहयोग नही करे ना ही कोई निर्माण कार्य करे।

वाद प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 7 व 10, 11 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं0 1, 8 व 9 की और से वकील श्री हरफूलसिंह जाखड का वकालतनामा व जबाबदावा पेश किया जाकर वर्णित किया गया कि वादीगण का कथन गलत है कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 के पिता जगताराम व प्रतिादीगण नं0 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी नं0 4 व 5 के पिता व पति और प्रतिवादीगण नं0 6 व 7 के पिता आपस मे सगे भाई हों वास्तव में वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 के पिता जगताराम और प्रतिवादी नं0 4 व 5 के पिता व पति भूराराम और प्रतिवादी नं0 6 व 7 के पिता भोलाराम प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता हीराराम के लडके हैं, भाई नही है। प्रतिवादी नं0 10 जयपुर रहता है और उसके दस्तखत करवाना संभव नही हो प्रतिवादी नं0 10 को प्रो–फोर्मा प्रतिवादी गलत बनाया गया है। खाता सं0 67 व 68 की भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होना कतई गलत है तथा कतई गलत है कि भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है। वादीगण का यह कथन गलत है कि प्रतिवादी नं0 10 बस्ताराम के गोद चला गया था और गोद के कारण बस्ताराम की खातेदारी की भूमि ख.न. 192/2.56 है0 की खातेदारी उसके नाम दर्ज हो गई। वादीगण के पिता द्वारा घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व विधिवत विभाजन हेतु न्यायालय एस.डी.ओ. नवलगढ में एक राजस्व वाद पेश करना स्वीकार है परन्तु वादीगण का यह कथन गलत है कि उक्त वाद वादीगण व प्रतिवादीगण में राजीनामा होने के कारण दिनांक 02.08.88 को खारिज करवा दिया था, वास्तविकता यह है कि वादीगण के पिता द्वारा इसी सम्पति की बाबत किया गया वाद अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा0 दी0 के तहत खारिज करवा गया था। प्रतिवादी नं0 1 ने भूमि ख.न. 216/7.14 है0 में से 2 बीघा भूमि वादीगण के पिता को काश्त करने के लिये अस्थाई तोर पर अवश्य दी थी और उसकी बाबत लिखावट किया जाना बिना जानकारी के अस्वीकार है परन्तु उसके पक्ष में कोई विक्रय पत्र नही है।

खाता सं0 189 की भूमि के बाबत भी घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड की सिद्धि चाही गई है परन्तु उस खाते के अन्य सह रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। जिनकी अनुपस्थिति में खाता सं0 189 की भूमि की बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड की कोई सिद्धि नही दी जा सकती है। अतः पक्षकारान के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है।

इस भूमि की बाबत वादीगण के पिता नोरंगराम ने एक दावा बाबत ईस्तकरारहक व बंटवारा जमीन का अं.धारा 88, 53 रा.का.अधि. के तहत उनवानी नोरंगराम बनाम भूराराम आदि नम्बरी 92/86 न्यायालय सहायक कलक्टर नवलगढ में पेश किया था जिसको दिनांक 02.08.88 को प्रार्थना पत्र पेश कर यह कहते हुये मुदमा नही लडना चाहते हैं तथा अपने मुकदमे को आगे नही चलाना चाहते हैं और दावे को अं.आदेश 23 नियम 1 जा.दी. के तहत खारिज करवाया था। दावा खारिज करवाते समय और ना तो नया वाद प्रस्तुत करने की कोई स्वीकृति चाही गई थी और ना ही न्यायालय द्वारा नया वाद पेश करने की कोई स्वीकृति दी गई थी। इसलिये मौजूदा वाद उसी भूमि की बाबत होने के कारण अं. आदेश 23 नियम 1 जा.दी. के तहत जा0दी0 के प्रावधानो के अनुसार कानूनन नही चल सकता है और मौजूदा वाद वादीगण प्राथमिक रूप से ही कानून के अनुसार खारिज होने लायक है।

जबाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. तनकी नं. 1:– आया इकरारनामा दिनांक 02.06.88 के आधार पर 0.50 है0 का नोरंगराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 को प्रतिवादी नं0 1 से 3 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता सं0 189 की सम्पूर्ण भूमि में 1/20 हिस्से का वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 एवं 4/20 हिस्से का प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादी नं0 6 , 7 का नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का प्रतिवादीगण को अधिकार है।

–भा.स.वादीगण

2. तनकी नं. 2:– आया प्रतिवादीगण सं0 1, 4, 5, 8, 9 को वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 को खाता सं0 68 के ख. नं. 216 मं से उतरी पश्चिमी कोने का रकबा 0.50 है0 व खाता सं0 23 की भूमि में 1/2 हिस्से रकबा 3.11 है0 एवं खाता सं0 189 की सम्पूर्ण भूमि में 1/20 हिस्से यानि 0.26 है0 के

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त का उपयोग में किसी प्रकार बाधा न तो स्वयं पैदा करे ना अपने आदमियो से पैदा करवायें।

—भा.स.वादीगण

3. तनकी नं0 3:— आया प्रतिवादी नं. 8, 9 को वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं कि विधि विरूद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.11.06 की आड में वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि खाता सं0 68 की भूमि ख.न. 216 में से 0.50 है0 पर जबरन लठ के बल पर कब्जा नही करे ना ही भूमि का नामा0 अपने नाम करवाये और ना ही विक्रय पत्र या अन्य ट्रांसफर डीड तस्दीक करवाये तथा प्रतिवादीगण नं0 1 व 4, 5 भी किसी प्रकार का प्रतिवादी नं0 8, 9 का सहयोग नही करे ना ही कोई निर्माण कार्य करें।

—भा.स.वादीगण

4. तनकी नं. 4:— आया प्रतिवादीगण सं0 8, 9 के पक्ष में दिनांक 17.11.06 का विक्रय पत्र वादीगण के अधिकारो के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध है जिसे निरस्त करवाने के अधिकारी वादीगण है। —भा.स.वादीगण
5. तनकी नं. 5:— आया खर्चा मुकदमा पाने के अधिकारी वादीगण है।—भा.स.वादीगण
6. तनकी नं0 6:— आया दावे में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाये जाने का दोष विद्यमान है इस कारण दावा खारिज होने लायक है। —भा.स.प्रतिवादीगण
7. तनकी नं0 7:— आया विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार व सुनवाई का अधिकार अदालत हाजा को नही है। —भा.स.प्रतिवादीगण
8. तनकी नं0 8:— आया वाद अं0आदेश 23 नियम 1 जा.दी. के तहत जाप्ता दिवानी के प्रावधानो के अनुसार कानूनन नही चल सकता है और मौजूदा वाद वादीगण प्राथमिक रूप से ही कानून के अनुसार खारिज होने लायक है। —भा.स.प्रतिवादीगण

वाद में तनकीयात कायम की गई परन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध जबाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदावा में उठाये गये आपतियो के बाबत न तो साक्ष्य प्रस्तुत की है न ही न्यायालय में स्वयं परिक्षित हुआ है न ही अपने दस्तावेजों को साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित करवाया गया है। अतः शहादत वादी ली गई साक्ष्य वादी में वादी मोहन, गवाह अनिल कुमार, दीपचन्द के चीफ के शपथ पत्र पेश हुए तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। बहस वकील वादी सुनी गई। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है:—

1. तनकी नं. 1:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी ग्राम राणासर संवत 2018–21 के अनुसार भूमि ख.न. 102 रकबा 5 बीघा 8 बिश्वा, 124 रकबा 40 बीघा, ख.न. 245 रकबा 24 बीघा 11 बिश्वा, ख.न. 245 रकबा 24बीघा 11 बिश्वा किता 3 कुल रकबा 69बीघा 19 बिश्वा की खातेदारी हीरा वल्द गणेशा कोम जाट सा.देह उपकृषक परताराम, इन्द्राज पि0 हीरा कोम जाट सा.दे. खुद काश्त हीरा 13बीघा परता इन्द्राज 27 बीघा दर्ज रिकार्ड है। खुदकाश्त हीरा व नोरंगसिंह दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम राणासर तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 102मी से नये ख.न. 137/1.22, 138/0.15, गत ख.न. 124मी से नया ख.न. 216/7.14, 229/2.97, 216/524/0.01 तथा गत ख.न. 245मी से नया ख.न. 408/3.07, 409/3.15, इस संबंध में प्रस्तुत छाया प्रति इकरार नामा के अनुसार प्रतापसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी राणासर द्वारा इकरार किया गया है कि ग्राम राणासर में हमारे पांच भाईयों की नोरंगराम प्रतापसिंह इन्द्राज रोशन भूराराम जमीनहै जिसमें हमारा पांचों भाईयो का हक है। ख.न. 216 में मेंरा हिस्सा उस हिस्से मे से मेंरे भाई नोरंगराम को मैने 2 बीघा जमीन देनी तैय की है जिस पर नोरंगराम मैने कब्जा कर दिया है। प्रतापसिंह ने नोरंगराम को दी है क्योंकि नोरंगराम के हिस्से में कम थी। यह इकरारनामा राजीखूशी पूर्ण होश हवास में लिख दिया है जो जरूरत पर काम आवे।

जमाबंदी ग्राम रानासर संवत आधार वर्ष 2005 के अनुसार ख.न. 336/1.50, 337/1.19, 338/0.07, 340/0.08, 341/1.80, 342/0.33, 343/0.23, 344/0.04 किता 8 कुल रकबा 5.24 है0 में जगताराम रूघबीर मोहन पिता नोरंग हि0 1/24 तथा प्रताप भोलाराम इन्द्राज रोशन पिता हीरा हि0 1/6 दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श 2 है। नकल जमाबंदी ग्राम रानासर संवत 2060 के अनुसार भूम ख.न. 137/1.22, 138/0.15, 216/7.14, 229/2.97

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

किता 4 कुल रकबा 11.48है0 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2.60 है0 का विक्रय किया गया है। जिसके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र खारिज करवाने का कोई सबूदात पेश नही किया गया है।

वादी ने इकरारनामा दिनांक 02.06.88 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जबकि इकरारनामा के आधार पर किसी भी प्रकार की रिलीफ देने की शक्ति सिविल न्यायालय को है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

2. तनकी नं. 2:– तनकी नं. 1 में रिकार्ड, इकरारनामा व विक्रय पत्र की पूर्णय विवेचना की जा चुकी है। प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है परन्तु वादी द्वारा भी प्रस्तुत वाद तथ्यो के संबंध में कोई ठोस सबूदात पेश नही करने से इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
3. तनकी नं. 3:– जब तक वादी विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2006 को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेता तब तक वादी उक्त रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है, अतः इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
4. तनकी नं. 4 :– विक्रय पत्र निरस्त करने की शक्तियां सिविल न्यायालय को होने से इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
5. तनकी नं. 5 :– वादी द्वारा चाही गई रिलीफ प्रदान करने की शक्ति सिविल न्यायालय को होने से वादी खर्चा मुकदमा पाने का अधिकारी नही है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
6. तनकी नं. 6 व 8:– प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा में की गई आपतियों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश किया है तथा न ही स्वयं उपस्थित रहा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः इन तनकियात का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।
7. तनकी नं. 7 :– विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस तनकी को निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निर्णय अनुसार वाद वादीगण सिद्ध नही होन से खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादी सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner